राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

कमांकः– प.23(2)साप्र/2/2019 जयपुर, दिनांक 26.7.2019

समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर (जयपुर के अतिरिक्त)

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 467
दिनांक 1/8/19

विषय :–स्वाधीनता दिवस समारोह–2019

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि स्वाधीनता दिवस समारोह–2019(15 अगस्त, 2019) सम्पूर्ण राज्य में यथोचित गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जावे। जिला मुख्यालयों पर अधोलिखित विविध कार्यक्रमों की अपेक्षा की जाती है:–

1. समस्त राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा।
2. स्वाधीनता दिवस समारोह–2019 के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त, 2019 को संभागीय/जिला मुख्यालयों (जयपुर के राज्य स्तरीय समारोह को छोड़कर) पर आयोजित कार्यकमों में ध्वजारोहण के लिये प्रभारी मंत्री महोदय के मनोनयन की सूचना पृथक से भेजी जा रही है। इन स्थानों पर प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। यदि इस अवसर पर प्रभारी मंत्री महोदय उपस्थित न हों तो ऐसी स्थिति में सम्भागीय मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त तथा जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।
3. सम्भागीय स्तर व जिला स्तर पर राष्ट्रीय पर्व को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा जिसमें अर्द्ध सैनिक बल, पुलिस, एन.सी.सी, होमगार्ड स्काउट्स की टुकडियां भाग लेंगी। यथा संभव विद्यालयों के छात्र–छात्राओं द्वारा सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन एवं सामूहिक नृत्य, देशभक्ति के गीत गाये जायें।
4. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के संदर्भ में विभिन्न सम्प्रदायों के कलाकारों को आमंत्रित किया जाये तथा इन भावनाओं को प्रेरित किये जाने वाले कार्यक्रम, संगीत समारोह, कवि सम्मेलन, मुशायरे, नाटक, अखाड़े–दंगल, कबड्डी प्रतियोगिता आदि का यथा संभव आयोजन किया जाये।
5. जिलों के मुख्य समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश पढ़ा जायेगा। यह संदेश पृथक से भेजा जा रहा है।
6. शिक्षण संस्थाऐं अपने यहां समारोह की व्यवस्था करें तथा इस अवसर पर राष्ट्रगान का सामूहिक गान भी करें।
7. राष्ट्रीय एकता को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये एवं कार्यक्रम की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि जनता स्वयं उसमें आगे होकर भाग ले सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिला अधिकारी स्थानीय समितियाँ बनायें ताकि कार्यक्रम भलीभांति उत्साहपूर्वक मनाया जा सके और उसकी कियान्विति यथोचित रूप से की जा सके।
8. समस्त स्थानीय संस्थाओं और जन साधारण से अनुरोध किया जाये कि राष्ट्रीय ध्वज अपने–अपने भवनों, निवास स्थानों पर फहरावें।
9. स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं जिले के स्वतंत्रता सैनानियों, जिलों में निवास कर रहे शहीदों के परिवार के सदस्यों को जिला मुख्यालय, उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय पर आयोजित समारोह में आमंत्रित किया जावे तथा उनके उचित सम्मान के साथ बैठाने की व्यवस्था की जावे।
10. अखिल भारतीय सेवाओं (ALL INDIA SERVICES) के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों को आमंत्रित किया जावे तथा उनके उचित सम्मान के साथ बैठाने की व्यवस्था की जावे। यह व्यवस्था ऐसी हो कि जिससे आमंत्रितगण यह महसूस हो कि उन्हें उचित सम्मान दिया गया है। साहित्य कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जावें।
11. भारत रत्न, राजस्थान रत्न, पदम विभूषण, पदम भूषण तथा पदमश्री उपाधि एवं अर्जुन पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्तकर्ताओं तथा राज्यस्तर/जिलास्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जावे।

www.rajteachers.com

12. उपखण्ड स्तर के समारोह में सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय झण्डा फहराने का कार्य किया जायेगा तथा राष्ट्रगान होगा।

13. महाविद्यालयों, विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं लघु बचत, पर्यावरण, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, सामुदायिक ग्राम विकास के समसामयिक बिन्दुओं के अनुकूल कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के कार्यक्रम आयोजित किये जाये एवं जन सामान्य को इन कार्यों के लिए प्रेरित किया जाये।

14. पंचायत मुख्यालयों, बड़े–बड़े गांवों में समारोह में सरपंचों द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जायेगी। जिन स्थानों पर पंचायत/नगर निकाय में चुनाव/उपचुनाव संभावित है, उन पंचायत/नगर निकायों के मुख्यालयों एवं बडे–बडे गांवों में समारोह में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय इत्यादि में से जो भी उच्च स्तर का सरकारी विद्यालय होगा उसके प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जायेगी।

15. नगर परिषद/नगर पालिका/पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव/उप चुनाव होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में मेयर/उप मेयर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सरपंच के द्वारा झण्डारोहण नहीं किया जायेगा। इनके स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा पूर्वानुसार झण्डारोहण किया जायेगा। जयपुर मुख्यालय में सवाई मानसिंह स्टेडियम पर दिनांक 15 अगस्त, 2019 को राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह प्रातः 9:05 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में आयोजित होगा।

भवदीय,

26/7/19

(डॉ.राजेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय राजभवन,जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक, पुलिस/होमगार्डस/जेल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
10. समस्त पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
12. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग,जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वाधीनता दिवस समारोह–2019 के कार्यक्रम पंचायत मुख्यालय पर संभावित आम चुनाव/उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये आयोजित करने हेतु अपने स्तर पर निर्देश जारी करवाने का श्रम करें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. सचिव, राज. लौक सेवा आयोग, अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(2)

26/7

(बृज मोहन शर्मा)
उप शासन सचिव

कार्यालय आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.(8)युवा/अकाद/16/365 दिनांकः 06.08.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कार्यालय शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की डायरी संख्या 4167 दिनांक 01.08.2019 के क्रम में।
2. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही करें।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कृप्या आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

www.rajteachers.com

6/8/19

(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)